उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्याः-क0नि0-2- 1169 /ग्यारह-9(10)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(45)-2009
दिनांकः 29 मई, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 3–क की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी दिनांक 01 जून, 2009 से उक्त अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त नीचे सारिणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय या दोनों, जैसी स्थिति हो, के कराधेय आवर्त पर प्रत्येक के सम्मुख सारिणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेंगेः–

सारिणी

क्रम सं0	वस्तु का विवरण	दर
1	2	3
1-	घोषित माल को छोड़कर उक्त अधिनियम की अनुसूची–दो में वर्णित शेष वस्तुयें	0.5 प्रतिशत
2-	उक्त अधिनियम की अनुसूची–पांच में वर्णित वस्तुयें	1 प्रतिशत

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव